

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:-24/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/99)

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री जीता राम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पावटा, तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेंट

उपस्थिति:-

1. श्री ध्रुवसिंह बगडिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 के अनुसरण में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(2)

सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 293/1008/4.25, 293/1001/0.55, 293/6.20 किस्म बंजर में से कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की एवं आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवंटन पत्र क्रमांक एल.आर./आवंटन/ 2021-22/5585 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 293/1008/4.25 में 0.50, 293/1001/0.55 में से 0.10, 293/6.20 में से 0.65 कुल 1.25 हैक्टर किस्म सिवायचक बंजर भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई हैं। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर सम्वत् 50 वर्षों से अपीलार्थी का कब्जा में है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काशत की जा रही है। इसमें रबि एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती रही है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी निर्णय दिनांक 03.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय से नोटिस जारी किए गए हैं जबकि अपीलार्थी निर्णय दिनांक 03.03.2023 जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा न्यायालय की हैसियत से पारित किया गया है, जो विधिक त्रुटि में आता है एवं नियम विरुद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी आवंटित भूमि पर अपीलार्थी के पिता का सन् 1980 एवं उससे पूर्व से कब्जा चला आ रहा है और अतिरिक्त कलेक्टर अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी के पिता के कब्जे की आराजी को नियमन करने की सिफारिश की गई उसके पश्चात् भी नियमन नहीं किया गया, अपीलान्त का परिवार बहुत ही गरीब है, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है इसलिये सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं किया है और ना ही भू आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O

(4)
किया गया, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2001 के तहत भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह संशोधन किया गया है कि किसी भी अतिचारी को भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे ऐसी भूमि आवंटित की जा सकेगी जो भू आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में नहीं आती हो तथा आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रपत्र एवं आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत ही भूमि आवंटित की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बगैर आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त किया है जो विधि विरुद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटित खसरा नम्बर के आस-पास भौतिक रूप से कोई भी राडा नहीं है तथा ना ही कोई नदी नाला पूर्व में था और ना ही वर्तमान में है। पूर्व में किस्म का इन्द्राज पूर्व के बन्दोबस्त अधिकारियों के द्वारा सहवन से किया गया था जिसका सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त में अधिकारियों के द्वारा भूमि की किस्म का परिवर्तन भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् किया गया था जो विगत 34 वर्ष पूर्व की गई है। किस्म परिवर्तन में अपीलार्थी एवं आवंटन अधिकारी की कोई भूमिका नहीं रही है तथा अपीलार्थी का प्रकरण नियमितीकरण की श्रेणी में आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जाँच किये ही केवल शिकायत के आधार पर फौरी तौर पर की गई जांच को आधार मानकर, एवं दुराशय की भावना से आवंटन आदेश निरस्त किया गया जो निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है बल्कि अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है जो राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे के आधार पर भू आवंटन नियम 1970 के तहत एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों एवं नियमों के अनुसरण में विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया गया है जो विधि सम्मत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को अपास्त किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
राजगढ़

P.T.O

गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जाँच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जाँच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जाँच की जाकर जाँच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जाँच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, जाँच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फौलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नहीं किये गये, आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है, सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो, या नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन

P.T.O

अतिरिक्त सहायक अधिवक्ता
अलवर

(5)

नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को यथावत रखा जाता है।



(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।